

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
 बनाम
 मु. सं.

18-02-16

आप पत्रावली पेश हुई। वकील
 वकील व स्वयं वकील को एक-एक कर
 बार-बार आवाज दिलायी गयी किन्तु
 कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद
 स्पष्ट होता है कि वकील अपने वाक्य
 के सही गंभीर नहीं हैं और वाक्य को
 चलाया नहीं जा रहा है।

अतः वकील को वाक्य को
 पेशी व अदालत हाथी में स्वयं किया
 जाता है पत्रावली फॉल्लो शुद्ध देख
 दाखिल करवा हो।

आदेश सुनाया गया।

Mansur
 उप खण्ड अधिकारी
 महवा (दौसा)